न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी— विष्णुलाल राजावत, आरएएस,

प्रकरण संख्या— 116 / 2023 (वाद)

दायर दिनांक— 28 / 08 / 2023

निर्णय दिनांक— 26 / 02 / 2026

::अनवान::

1— जीवराज पिता उदयराम जाति सालवी निवासी कोटडी तह0 रेलमगरा जिला राजसमंद

वादी

बनाम

1— भवरी देवी पत्नि किशोर जाति बलाई,निवासी कोटडी तहसील रेलमगरा

2— शम्भुलाल पिता किशोर जाति बलाई, निवासी कोटडी तहसील रेलमगरा

3— सुरेश पिता किशोर जाति बलाई, निवासी कोटडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद

4— राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमंद

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 136, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वादी अधिवक्ता— राकेश सनाढ्य

प्रतिवादी अधिवक्ता— अनुपस्थित

—: निर्णय:—

वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 136, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रस्तुत किया है कि मौजा कोटडी पटवार हल्का कोटडी की आराजी संख्या 1223 रकबा 1—15 बिघा भूमि प्रतिवादीगण के पिता किशोर पिता कजोड सालवी के नाम पर अंकित थी। यह कि वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजीयात् प्रतिवादी संख्या 01 के पति व प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के पिता किशोर पिता कजोड बलाई निवासी कोटडी के नाम पर अकित थी तथा किशोर पिता कजोड बलाई ने उक्त आराजीयात् जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 23 / 07 / 2020 को 1,90,000 / — अक्षरे रूपये में वादी को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर उक्त आराजीयात् पर कब्जा वादी को सिपुर्द कर दिया तथा क्रय की दिनांक से उक्त आराजीयात् पर वादी कर ही कब्जा होकर वादी ही उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। यह कि वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजीयात् वादी ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्र की एवं क्रय करने के पश्चात् इसी विश्वास में था कि आराजी संख्या 1223 रकबा 1—15 बिघा भूमि उसके नाम पर राजस्व रेकार्ड में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से अंकन हो गया होगा तथा उक्त मुल विक्रय पत्र घर जाकर रख दिया। वादग्रस्त कृषि आराजीयात् पर वादी का ही स्वामित्व व आधिपत्य होने से वादी इसी विश्वास में था कि भूमि उसके नाम पर आ गई होगी। तथा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

प्रतिवादीगण ने भी कभी कोई बाधा कारित नही की। जिस कारण वादी ने कभी जमाबदी की नकल नही निकलवाई आज से 7–8 माह पूर्व प्रतिवादीगण के पिता व पति किशोर जी की मृत्यु हो गई तथा किशोर जी की मृत्यु पश्चात् जो वादीगण को परेशान करने लग गये एवं आज से एक माह पुर्व प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 ने वादीगण को उपरोक्त आराजीयात् से बेदखल करने की कोशिश की तथा उन्होने कहां कि उपरोक्त आराजीयात् में तुम्हारा किसी प्रकार से कोई हक अधिकार नही है भूमि हमारे में अंकित है तुम्हारे नाम पर अंकित नही है जिससे वादी ने उक्त आराजीयात् की खाते की नकल निकलवाई तो पता चला कि उपरोक्त आराजीयात् में वादी का नाम अंकित नही था। उक्त आराजीयात् प्रतिवादीगण के पिता वा पति के नाम पर ही अंकित रह गई व उसके पश्चात् विरासत संख्या 01 से लगायत 03 के नाम पर अंकित रह गई है। जिस पर वादी ने प्रतिवादी को बताया कि उपरोक्त भूमि तो मैने तुम्हारे पिता व पति से क्रय की थी, इस पर भी प्रतिवादीगण नही माने व वादीगण को उपरोक्त आराजीयात् से बेदखल करने पर आमादा हो रहे है जिससे वादी को उपरोक्त आराजीयात् को अपने नाम घोषित करने हेतु उक्त वाद आप न्यायालय में प्रेषित किया जा रहा है। यह कि वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजीयात् वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकित होने से प्रतिवादीगण अब बद्यान्ति पुर्वक उक्त भूमि पुनः अन्य व्यक्ति को विक्रय करने पर आमादा हो रहे है तथा जबरन वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने पर उतारू हो रहे है जिससे उन्हे निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जाना आवश्यक है। यह कि वादी के विधिक वारिसान वादी होने से एवं वादग्रस्त भूमि वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की होने से उनके द्वारा वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 04 राज्य सरकार के प्रतिनिधि होने से उन्हे आवश्यक पक्षकार बनाया गया हौ अन्यथा उनसे कोई दाद नही चाही गई है। यह कि वादपत्र आज से करीबन एक माह पुर्व प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 द्वारा वादी को उपरोक्त आराजीयात् से बेदखल करने की धमकियां व उक्त आराजीयात् से बेदखल करने की धमकिया व उक्त आराजीयात् अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरण करने से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। वादग्रस्त आराजीयात् मोजा कोटडी पटवार हल्का कोटडी तहसील रेलमगरा में स्थित है उक्त वाद का श्रवाधिकार व क्षैत्राधिकार न्यायालय आपको अभिप्रेत है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 05 के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री फरमाई जावे कि मोजा कोटडी की आराजी संख्या 1223 रकबा 1–15 बिघा भुमि वादी के नाम पर घोषित कराया जाकर राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादीगण का नाम हटाकर वादीगण के नाम पर अंकित कराये जाने की घोषणा की डिक्री प्रचलित फरमाई जावें। एंव उपरोक्त आराजीयात् में प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावे कि वे वादीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार से बाधा कारित नही करे एवं न ही अन्यत्र व्यक्ति को हस्तान्तरित करे, प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें। अन्य समुचित सहायता जो वादी प्राप्त करने का अधिकारी हो प्रदान कराई जावें।

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 बावजुद सुचना के अनुपस्थित रहे। प्रतिवादी संख्या 04 भूमिधारक होने से पक्षकार बनाया गया।

वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन वक्त साक्ष्य PW-1 जीवराज पिता उदयराम जाति सालवी के शपथ–पत्र प्रस्तुत किया। वादी द्वारा इसके अतिरिक्त और कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई, दस्तावेज विकय पत्र, ग्राम पंचायत सिन्देसर कलां द्वारा वादीया के पक्ष में जारी प्रमाण पत्र आधार कार्ड, पेनकार्ड, नामान्तकरण, जमाबन्दी की नकले प्रस्तुत कि गयी।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी, पत्रावली पर उपलब्ध विकय पत्र के अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, R.T.A.का स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम कोटडी, पटवार हल्का कोटडी, की वर्तमान जमाबदी में अंकित आराजी संख्या 1223 रकबा 1–15 बीघा भूमि पंजीकृत विकय पत्र के आधार पर वादी को खातेदार काश्तकार घोि त किया जाकर प्रतिवादी के नाम हटाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार रेलमगरा पालना कर पालना रिपोर्ट अविलम्ब प्रस्तुत करे। इसी अनुसार डिकी पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2026 सरे इजलास सुनाया गया।

(बिन्दुबाला राजावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
सहायक कलेक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

संख्यांक नं0 1

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला–राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 115 / 2023

अनवान

वादीपक्ष :–

1– जीवराज पिता उदयराम जाति सालवी निवासी कोटडी तह0 रेलमगरा जिला राजसमंद

बनाम

प्रतिवादी पक्षः–

1– भवरी देवी पत्नि किशोर जाति बलाई,निवासी कोटडी तहसील रेलमगरा

2– शम्भुलाल पिता किशोर जाति बलाई, निवासी कोटडी तहसील रेलमगरा

3– सुरेश पिता किशोर जाति बलाई, निवासी कोटडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद

4– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमंद

दावा :– वाद अन्तर्गत धारा 88,136 रा.का.अधि. 1955

वादी की ओर सेः– अधिवक्ता राकेश सनाढ्य

प्रतिवादीगण की ओर सेः– अनुपस्थित

मे इस आशय में दिनांक 26.02.2026 के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88,136 का विकय पत्र स्वीकार किया जाकर मोजा कोटडी की आराजी संख्या 1223 रकबा 1–15 बिघा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादीगण का नाम हटाकर हटाया जावे। तहसीलदार रेलमगरा पालना कर पालना रिपोर्ट अविलम्ब प्रस्तुत करे।

आज दिनांक को 26.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की गोल मोहर लगाकर जारी की गई।

(बिन्दुबाला राजावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

सहायक कलेक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा